समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर,
लिंक भोपाल, मध्य प्रदेश R-93-PBR/17

(8)

राजस्व प्रकरण क्रमांक ..../2016

मदनलाल गोदानी,उम्र-व्यस्क, आ. रनछोड़दास गोदानी
निवासी- विश्वकर्मा चौक उदयपुरा, कस्वा-उदयपुरा,
जिला-रायसेन ---------------- आवेदक/निगरानीकर्ता

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन ---------------- उत्तरवादी/अनावेदक

... श्री राघव रघुवंशी
आज दिनांक 28.11.2016
पेश।
अधीक्षक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता

27/12

महोदय,

आवेदक/निगरानीकर्ता की और से निम्नानुसार निवेदन प्रस्तुत है

माननीय आयुक्त महोदयभोपाल द्वारा, प्रकरण मदनलाल विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन, राजस्व प्रकरण क्रमांक – 8/9/अपील/2015-2016, पारित आदेश दिनांक 27-सितम्बर-2016 में पारित आदेश से असंतुष्ट होकर आवेदक/निगरानीकर्ता निम्न तथ्यों एवं मुद्दों पर विधिक समयाविधि में निम्न निगरानी प्रस्तुत करता है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 73–पीबीआर/2017 **जिला रायसेन**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6.4.2017	आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–9–2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आवेदक की ओर से अपर आयुक्त के समक्ष वादग्रस्त आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की गई है और न ही सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत करने से मुक्ति हेतु म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 48 के अन्तर्गत ही आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, अतः अपर आयुक्त द्वारा अपील ग्राह्य करने में प्रथमदृष्टया विधिसंगत कार्यवाही की गई है, इसलिये यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) **अध्यक्ष**	